

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी

1. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
2. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
3. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ के पत्र संख्या-526/रा०उ०शि०प०/ 4/1011, दिनांक 06 फरवरी, 2019 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के विभिन्न विभागों हेतु ₹0 102.00 लाख (रूपये एक करोड़ दो लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित कार्यो / मदों पर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्रम	विभाग का नाम	सेन्टर आफ एक्सीलेन्स प्रस्ताव का शीर्षक	कुल स्वीकृत धनराशि
1	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली।		
1-1	Department of Plant Science	Development of strategies for Arsenic and other heavy metals phytoremediation.	11.50 लाख
1-2	Department of Business Administration	A Study of Tourism Industry and its Impact on Socio-Economic Development-A Case of Rohilkhand and nearby region.	6.00 लाख
2	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर		
2-1	Department of Mathematics and Statistics.	Proposal for Centre of Excellence	7.00 लाख
2-2	Department of Chemistry	Proposal for Centre of Excellence	15.00 लाख
3	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ		
3-1	Department of Botany	New emerging contaminant, metallic nanoparticles in agri environment; toxicity, tolerance and metabolic adaptations in cereal crops	20.00 लाख
3-2	Department of Journalism & Mass Communication	Uses and Implications of ICT with reference to Social Media in Lucknow University	5.50 लाख
3-3	ONGC Centre for Advance Studies	Centre of Excellence in Computational Biology	20.00 लाख
3-4	Department of Physics	Thrust Area of Research to be undertaken under the programme	17.00 लाख
योग			102.00 लाख

(₹0 एक करोड़ दो लाख मात्र)

- 2- प्रश्रुगत योजना से सम्बन्धित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जायेगी। यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग /संविदा से व्यवस्था की जा सकती है तथा कोई डिप्लोमा / प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएँगे।
- 3- योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4- सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार के समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स /प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा। एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किया गया परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।
- 5- धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होनेवाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
- 6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- 8- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 9- इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या-1075/70-4-99/46(21)/99 दिनांक 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 10- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
- 11- इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 12- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा- 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 13- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (मनोज कुमार)
 विशेष सचिव

संख्या- 360(1)/सत्तर-4-2019, तद् दिनांका

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सूचना आडिट), उ०प्र० प्रयागराज ।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज ।
3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज ।
4. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ ।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी ।
6. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव